

पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम-02-06/2025/61(आ.)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जमुई, औरंगाबाद, दरभंगा,
अररिया, नालंदा, मधेपुरा,
समस्तीपुर, सिवान, सीतामढ़ी,
गोपालगंज एवं बक्सर।

पटना, दिनांक 30/09/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 53(स्वी०) दिनांक 17.09.2026 द्वारा स्वीकृत कुल ₹1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 8116 दिनांक 27.06.2025 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 53(स्वी०) दिनांक 17.09.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिला पदाधिकारी, जमुई, औरंगाबाद, दरभंगा, अररिया, नालंदा, मधेपुरा, समस्तीपुर, सिवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज एवं बक्सर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उक्त स्वीकृत्यादेश के कंडिका-03 में अंकित विवरणी के अनुरूप आश्रितों को ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये) मात्र की दर से कुल ₹1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

क्र०	जिला का नाम	मृत पंचायत प्रतिनिधि का विवरण	राशि रुपये में
1	2	3	4
1.	जमुई	स्व० मालो देवी, पंच ग्राम पंचायत- थेगुआ, प्रखंड-जमुई, जिला-जमुई	500000.00
2	औरंगाबाद	स्व० प्रभाकर पाठक, वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत-उत्तरी उनगा, प्रखंड-मदनपुर, जिला-औरंगाबाद	500000.00
3		स्व० युगल किशोर, वार्ड सदस्य	500000.00

		ग्राम पंचायत- उत्तरी उमगा, प्रखंड-मदनपुर, जिला-औरंगाबाद	
4	दरभंगा	स्व० सीता राम राम, वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत- बहादुरपुर, प्रखंड- बहादुरपुर, जिला-दरभंगा	500000.00
5		स्व० सोमिया देवी, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत-ओझौल, प्रखंड- बहादुरपुर, जिला- दरभंगा	500000.00
6		स्व० जयकान्त मंडल, वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत-हथैड़ी दक्षिणी, प्रखंड-बहेड़ी, जिला-दरभंगा	500000.00
7	अररिया	स्व० शांति देवी, ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत-औराही, प्रखंड-फारबिसगंज, जिला-अररिया	500000.00
8	नालंदा	स्व० गोरेलाल कुमार, वार्ड सदस्यग्राम पंचायत-सकरौल, प्रखंड-बिहारशरीफ, जिला-नालन्दा	500000.00
9	मधेपुरा	स्व० पार्वती देवी, ग्राम कचहरी पंच ग्राम पंचायत-बसनबाड़ा, प्रखंड-आलमनगर, जिला-मधेपुरा	500000.00
10	समस्तीपुर	स्व० रोहित राय, उप सरपंच ग्राम पंचायत-महिषी, प्रखंड-विभुतिपुर, जिला- समस्तीपुर	500000.00
11		स्व० सहिलया देवी, सरपंच ग्राम पंचायत-इनायतपुर, प्रखंड-पटोरी, जिला- समस्तीपुर	500000.00
12		स्व० कुशेश्वर मांझी, पंचग्राम पंचायत-विष्णुपुर डीहा, प्रखंड-सिंघिया, जिला- समस्तीपुर	500000.00
13		स्व० मनोरंजन कुमार गिरि, मुखिया, ग्राम पंचायत- चाँदचौर, प्रखंड- उजियारपुर, जिला-समस्तीपुर	500000.00
14		स्व० रणजीत साह, वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत- महिसारी, प्रखंड- उजियारपुर, जिला-समस्तीपुर	500000.00
15		स्व० लैला खातुन, पंच सदस्या ग्राम पंचायत-पकड़ी, प्रखंड-बड़हरिया, जिला-सिवान	500000.00
16		स्व० अंजली देवी, वार्ड सदस्या ग्राम पंचायत-भोपतपुर, प्रखंड-लकड़ी नबीगंज, जिला-सिवान	500000.00
17	सिवान	स्व० बच्ची देवी, वार्ड सदस्या ग्राम पंचायत-कृष्णापाली, प्रखंड-दरौली, जिला- सिवान	500000.00
18	सीतामढ़ी	स्व० रामभगत कुमार, वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत-सुतिहारा, प्रखंड-परिहार, जिला-सीतामढ़ी	500000.00
19	गोपालगंज	स्व० नेसार अहमद, पंच ग्राम पंचायत-रेवतिथ, प्रखंड-बैकुण्ठपुर, जिला- गोपालगंज	500000.00

20	बक्सर	स्व० मुन्नी देवी पंचायत समिति सदस्याग्राम पंचायत-छोटका नुआँव, प्रखंड-बक्सर, जिला-बक्सर	500000.00
कुल			₹1,00,00,000.00

एक करोड़ रुपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-001-निर्देशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0101-मुख्यालय पंचायत की स्थापना" के "विषय शीर्ष-0101.37.01-अनुग्रह अनुदान" मद से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या 16-2515000010101 है।
4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 एवं 926 दिनांक 31.07.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी, होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 53(स्वी०) दिनांक 17.09.2026 में दिये गये निर्देशों एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी करते हुए मृतक के आश्रित के बैंक खाते में CFMS के माध्यम से अंतरित करेंगे।
6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या : 5प/राज्य स्कीम-02-06/2025 के पृष्ठ संख्या 130...../टि० पर दिनांक 29/9/2026 को प्राप्त है।

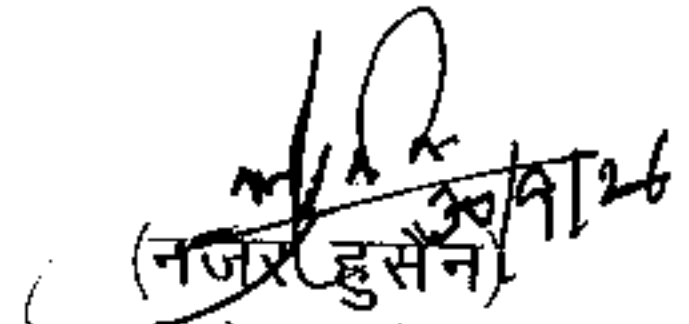
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन


(नजर हुसैन)

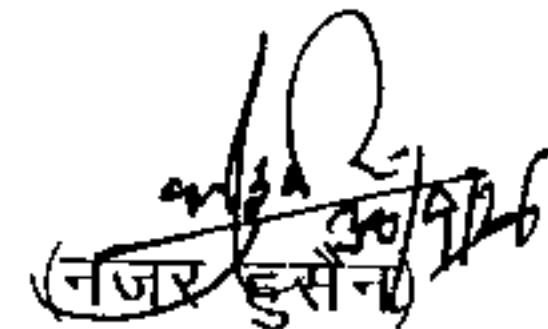
विशेष सचिव

ज्ञापक : 5प/राज्य स्कीम-02-06/2025/61(आ.) पं०रा०, पटना, दिनांक 30/9/26
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला कोषागार/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी-06 एवं 07 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)

विशेष सचिव

ज्ञापक : 5प/राज्य स्कीम-02-06/2025/61(आ.) पं०रा० पटना, दिनांक 30/9/26
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)

विशेष सचिव

